# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2352/2025**

मुकेश कुमार गुप्ता **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग एवं निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, ज्योति नगर, जयपुर।
4. मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, कठूमर, जिला अलवर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 26.03.2025
**आदेश की दिनांक** : 02.04.2025
**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री कैलाश चन्द कटारा, अभिभाषक
**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेरली, जिला अलवर से दिनांक 30.06.2024 (अनुलग्नक–1) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत हो चुका है एवं अपीलार्थी को पी.पी.ओ एवं कम्यूटेशन भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश भी जारी किये जा चुके है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को 9 माह बीत जाने के बाद भी कम्यूटेशन भुगतान एवं ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी होने के बाद भी अपीलार्थी के खाते में कम्यूटेशन एवं ग्रेच्युटी की राशि जमा नहीं की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 14.01.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी के खाते में 25 लाख रूपये की बकाया ग्रेच्युटी राशि एवं कम्यूटेड पेंशन राशि जमा कराने के लिए लिखा गया (अनुलग्नक–2)। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी को वित्तीय वर्ष 2024–25 के बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से अभी तक कम्युटेड एवं ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया है (अनुलग्नक–3)। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2024 एवं दिनांक 31.12.2024 के द्वारा ग्रेच्युटी की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दी गई (अनुलग्नक–6)। प्रत्यर्थी विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 23.09.2024 (अनुलग्नक–4) जारी किया गया, जिसके तहत अपीलार्थी को दिनांक 07.10.2024 को काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जा चुकी है। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर अंकित है। अपीलार्थी

द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–5)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2024 एवं दिनांक 31.12.2024 की अनुपालना में अपीलार्थी के खाते में 01.07.2024 से 12 प्रतिशत ब्याज की दर से 1707564 की राशि एवं ग्रेच्युटी राशि तथा कम्यूटेशन राशि 25 लाख रूपये जमा करवाये जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि ग्रेच्युटी राशि भुगतान आदेश जीपीओ राशि 25 लाख रूपये को दिनांक 11.09.2024 की अधिसूचना के अनुसार जीपीओ राशि 20 लाख रूपये के स्थान पर संशोधित करने के निर्देश दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**